



# जालौन पुलिस



**Meticulous Investigation & Prosecution**

**#OperationConviction**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

कोतवाली उरई क्षेत्रान्तर्गत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करते हुये पकड़े जाने पर अभियुक्त अल्ताफ पुत्र इलियास निवासी मु० तिलक नगर कोत० उरई जनपद जालौन के विरुद्ध कोतवाली उरई में मु०अ०सं० 2823/15 (वाद संख्या – 12/16) धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 05.04.2024 को मा० न्यायालय एडीजी/एफटीसी/एनडीपीएस कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त अल्ताफ उपरोक्त को दोषी पाते हुये 01 वर्ष 07 माह का कारावास एवं 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



ADGC क्रिमिनल रामलखन



कोर्ट पैरोकार सोहन सिंह

✕ @jalaunpolice

📷 jalaunpolice

f JalaunPolice